

कार्यालय महालेखाकर (लेखा एवं हक.) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

पत्रांक:- लेखांक-2/03/नि.सं.(प्र)/ग्र-2/16/2018/03/340

दिनांक 07/08/2023

सेवा में,

समस्त अधिशासी अभियंता

संबन्धित खंड

विषय:- निक्षेप जमा भाग-2 के वर्ष वार/प्रकरण वार विवरण के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि रेमिटेन्स विभागों में कोषागार प्रणाली लागू होने के कारण निक्षेप जमा भाग-2 में मी०सी०एल० व्यवस्था से संबन्धित, लंबित धनराशि (31/03/2022 से पूर्व की) के निस्तारण के संबंध में नियमसंगत युक्ति पर निर्णय लेने हेतु सूचना निम्न प्रारूप में भरकर अपने खंड के माह 07/23 के मासिक लेखे के साथ अथवा पृथक रूप से अपने खंड से संबन्धित लेखा अनुभाग को यथा शीघ्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

S.No.	Div. Code	Fin year	Balance in Deposit Part-2 (Rs.)	Bifurcation of amount in Col.4		Item wise (contractor/firm etc.) details of disputed amount (court case etc.) in Col.5(a) (CCL)	Amount in Col.4 which does not pertain to Retention money with particulars (whether CCL or DCL etc.)	Unclaimed Amount against col. No 5	
				CCL	DCL			CCL	DCL
1	2	3	4	5(a)	5(b)	6	7	8(a)	8(b)
		Upto 31.03.1997							
		97-98							
		98-99							

		22-23							
		Total							

भवदीय

वरिष्ठ लेखाधिकारी / नि०सं० (प्र)

प्रतिलिपि:- संबन्धित खंडीय लेखाकार/लेखाधिकारी को इस आशय से पेषित कि उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं पत्र की प्रति अधिशासी अभियंता को भी उपलब्ध कराएं।

वरिष्ठ लेखाधिकारी / नि०सं० (प्र)